## विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग–1

## (कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

वीरवार, 17 दिसम्बर, 2020/अग्रहायण 26, 1942 (शक्)

### संख्या—07

# 1.58 बजे श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए। राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

- 1. 2.00 बजे सदन द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत पर अफसोस व्यक्त किया गया तथा उनको श्रद्धांजलि दी गई।
  दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया।
- 2. 2.04 बजे विशेष उल्लेख (नियम—280) :

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम—280 के अंतर्गत उठाये जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले पढ़े हुये माने जायें :--

1. श्री सोम दत्त

6. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

2. श्री मोहन सिंह बिष्ट

7. श्री अजय महावर

3. श्री जय भगवान

8. श्री जितेन्द्र महाजन

4. श्री नरेश बाल्यान

9. श्री अभय वर्मा

5. श्री भूपेन्द्र सिंह जून

3. 2.04 बजे सरकारी संकल्प (नियम-90) :

श्री कैलाश गहलोत, माननीय राजस्व मंत्री ने सदन की अनुमित से निम्नलिखित सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया :

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि :

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत की संसद ने हाल ही में निम्नलिखित तीन काूननों को अधिनियमित किया है, जिन्हें आमतौर पर 'कृषि कानूनों' के रूप में उल्लिखित किया जा रहा है और जो पूरे देश में विद्यमान कृषि प्रथाओं में व्यापक परिवर्तन करते हैं: (क) कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य (संर्वद्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020,

(ख) कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण), मूल्य आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवाएँ अधिनियम, 2020, और

(ग) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020,

आगे, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों से, देश भर के किसान आंदोलित हैं, जो न केवल किसानों के हितों के विरुद्ध हैं बल्कि आम आदमी के लिए भी हानिकारक हैं:

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह विश्वास व्यापक हो चुका है कि इन कृषि कानूनों को वर्तमान सत्तासीन सरकार द्वारा कुछ कॉरपोरेट्स के इशारे पर संसद में लाया गया है, जो अंततः किसानों की आय को नुकसान पहुँचा सकते हैं;

और, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में किसान भीषण सर्दियों में दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से कुछ की जान भी चली गई है; इस विचार के साथ कि जिस प्रकार हितधारकों से बिना किसी विचार—विमर्श के और राज्यसभा में उचित मतदान न होने पर भी, जिस प्रकार संसद में इन बिलों को लाया गया और भारत सरकार ने किसानों की उचित मांगों पर सहमत होने से भी इनकार कर दिया है, इससे कृषक समुदाय में अत्यंत आक्रोश है;

और दिल्ली सरकार किसानों की मांग का खुले दिल से समर्थन करने के लिए संकल्पबद्ध है ; यह सदन तीनों अधिनियमों को अस्वीकार करता है और भारत सरकार से ईमानदारी से अपील करता है कि राष्ट्र के हित में, संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की गारंटी देने के लिए अलग से बिल पारित किया जाए और अन्य सभी माँगें स्वीकार की जाए।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

- 1. श्री महेन्द्र गोयल
- 2. श्री संजीव झा
- 3. श्री सोमनाथ भारती
- 4. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- 4. 3.07 बजे सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री मोहन सिंह बिष्ट के भाषण के दौरान आपत्ति प्रकट की।

सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य तर्क-वितर्क प्रारम्भ हुआ।

सदन में शोर-शराबा।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया लेकिन वे नहीं माने।

- 5. 3.09 बजे शोर-शराबे के कारण सदन कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।
- 6. 3.20 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हये।
- 7. 3.20 बजे सरकारी संकल्प (नियम-90) पर चर्चा जारी :

श्री मोहन सिंह बिष्ट ने अपना भाषण समाप्त किया।

- 5. श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री
- 6. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष
- 7. श्री दिलीप पाण्डेय, माननीय मुख्य सचेतक

माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

- 8. 4.22 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात** :
  - श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय ऊर्जा मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :
    - 1. दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड का वित्त वर्ष 2017—18 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)
    - 2. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का वित्त वर्ष 2018—19 हेतु 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)
    - 3. इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2018—19 हेतु 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)
- 9. 4.23 बजे सदन जलपान अवकाष के लिए स्थिंगत हुआ।
- 10. 4.48 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।
- 11. 4.48 बजे सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गये और कृषि कानूनों को तत्काल वापिस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे।
  - प्रतिपक्ष के सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी।
- 12. 4.55 बजे शोर—षराबे के कारण सदन सांय 5.15 बजे तक स्थगित किया गया।
- 13. 5.20 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।
- 14. 5.25 बजे चूंकि सदस्यों ने नारेबाजी करना जारी रखा और व्यवधान उत्पन्न किया, अध्यक्ष महोदय ने सदन शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।

दिल्ली 17 दिसम्बर, 2020 सी. वेलमुरूगन सचिव

## **LEGISLATIVE ASSEMBLY** NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### **Bulletin Part-I**

### (Brief summary of proceedings) Thursday, 17 December 2020 / 26 Agrahavan 1942 (Saka)

No. 07

#### 01.58 PM

#### Shri Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in Chair NATIONAL SONG (VANDE MATARAM)

1. 2.00 PM The House expressed its condolences on the death of farmers who were protesting against the farm laws and paid its homage.

The House also observed two minutes silence as a mark of respect to the departed souls.

#### 2. 2.04 PM **Special Mention (Rule-280):**

Hon'ble Speaker directed that the matters to be raised by the following Members under Rule-280 would be treated as read:

- 1. Sh. Som Dutt
- 2. Sh. Mohan Singh Bisht
- 3. Sh. Jai Bhagwan
- 4. Sh. Naresh Balyan
- 5. Sh. Bhupinder Singh Joon

- 6. Sh. Akhilesh Pati Tripathi
- 7. Sh. Ajay Mahawar
- 8. Sh. Jitender Mahajan
- 9. Sh. Abhay Verma

#### 3. 2.04 PM **Government Resolution (Rule-90):**

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Revenue moved the following Government Resolution on Farm Laws and Farmers agitation with the leave of the House:

"The Legislative Assembly in its sitting held on 17.12.2020 resolves that:

"Taking note of the fact that the Parliament of India has recently enacted following three Laws, commonly referred as 'Farm Laws', which make wide ranging changes in the existing farm practices throughout the country

- (a) The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act,
- (b) Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. 2020, and
- The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020; (c)

Taking further note of the fact that farmers across the country have been agitated with various provisions of these laws, which are considered to be detrimental not only to the interests of the farmers but also the common man;

Taking note of the fact that there is wide spread belief that these Farm Laws have been pushed through the Parliament by the present Government in power at the behest of certain corporates which may ultimately lead to loss of income for the farmers;

Taking further note of the fact that large number of farmers have been protesting on the borders of Delhi in chilly winters and some of them are also reported to have lost their lives;

With the considered view that the farmer community has been extremely agitated at the way these Bills have been pushed through in the Parliament without any consultation with the stakeholders, without proper voting in Rajya Sabha and the refusal of the Government of India to agree to the rightful demands of the farmers;

And the resolve of the Government of NCT of Delhi to wholeheartedly support the demand of the farmers;

This House rejects all the three enactments and earnestly appeals to the Government of India that in the interest of the nation, the Farm Laws passed by the Parliament may be repealed with immediate effect and separate Bill guaranteeing government purchase of all crops at MSP be passed by the Parliament and all other demands be accepted.

The following Members participated in the Discussion:

- 1. Shri Mohinder Goel
- 2. Shri Sanjeev Jha
- 3. Shri Somnath Bharti
- 4. Shri Mohan Singh Bisht
- 4. 3.07 PM Some Members of Ruling Party raised objections during the speech of Sh. Mohan Singh Bisht, Member of BJP.

Exchange of arguments between Members of Ruling Party and Opposition ensued.

Uproar in the House.

The Chair requested the Members to take their seats but they did not relent.

- 5. 3.09 PM House adjourned briefly due to pandemonium
- 6. 3.20 PM **House reassembled Hon'ble Speaker in Chair**
- 7. 3.20 PM Discussion on Government Resolution (Rule-90) continued:

Shri Mohan Singh Bisht concluded his speech

- 5. Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development
- 6. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition
- 7. Shri Dilip Pandey, Hon'ble Chief Whip

Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.

The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote.

8. 4.22 PM Papers laid on the Table :

**Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Power** laid copies of the following on the Table of the House:

- i. Annual Report of the Delhi Power Company Limited (DPCL) for the financial year 2017-18 (Hindi & English Version).
- ii. Annual Report of Delhi Transco Limited (DTL) for the financial year 2018-19 (Hindi & English Version).
- iii. Annual Accounts of Indraprastha Power Generation Co. Limited (IPGCL) & Pragati Power Corporation Limited (PPCL) for the financial year 2018-19 (Hindi & English Version).
- 9. 4.23 PM House adjourned for tea break
- 10. 4.48 PM House reassembled

Hon'ble Speaker in Chair

11. 4.48 PM Members of the Ruling Party entered the well of the House and shouted slogans demanding immediate repeal of the 'Farm Laws'

Members of the Opposition too started raising slogans

- 12. 4.55 PM House adjourned till 5:15 PM due to pandemonium
- 13. 5.20 PM House reassembled

Hon'ble Speaker in Chair

14. 5.25 PM As the Members continued to raise slogans and created pandemonium, the Chair adjourned the House till 11.00AM on Friday, 18 December 2020.

Delhi C. Velmurugan 17<sup>th</sup> December, 2020 Secretary